तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

25-06-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत शिविर मे पेश हुई। प्रार्थनापत्र के अनुसार ख.न. 1053 रकबा 9 बिस्वा ग्राम मेहन्दवास, तहसील टोंक प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण की खातेदारी मे है। प्रतिपक्षीगण मेड तोडकर पेड पौधे उखाड कर ले जाते है तथा प्रार्थीगण की भूमि मे से रास्ता निकालने पर अमादा है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। हक अधिकार के तथ्य का निर्णय, साक्ष्य दस्स्तवेज के आधार पर वाद निर्णय के समय किया जावेगा। जमाबंदी संवत 2071–71 के अनुसार विवादित भूमि के प्रार्थीगगण व प्रतिपक्षीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा भूमि की किस्म गै.मु. चाह है और गै.मु. चाह का सभी पक्षकारो को अपने अपने हिस्से अनुसार उपयोग करने का अधिकार है इसके लिए किसी भी पक्षकार को पाबन्द नही किया जा सकता है। इस प्रकार पृथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है। चूंकि प्रतिपक्षीगण भी उक्त भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार है और यदि रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किया गया तो क्षति प्रतिपक्षीगण को होने की संभावना है इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी पूर्ण रूप से प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है। अतः प्रार्थनापत्र के तीनो बिन्दु पूर्ण रूप से प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होने के कारण प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद मे शामिल हो।

(पिंकी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner